M-12-95104
29-7-13

दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल, म.प्र. बेंच भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.)

राजस्व एम.जे सी. क्रं. ..../13

गोविंद सिंह लोधी आयु 46 वर्ष,
आ. श्री ग्यारसी लोधी, निवासी–
ग्राम नयाखेडा, तहसील उदयपुरा,
जिला रायसेन (म.प्र.) ----- आवेदक/अपीलार्थी

विरूद्ध

1. गोधन सिंह लोधी, आयु वयस्क,
आ. श्री छोटेलाल लोधी, निवासी–
ग्राम झिरियामाता, तहसील गाडरवारा,
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

2. घसीटा लोधी, आयु वयस्क,
आ. श्री धनिया लोधी,
श्रीमती मथरिया बाई लोधी, आयु
वयस्क, पत्नि श्री ठुन्नीलाल लोधी,
प्रत्यर्थी क्रं 2 व 3 नि.--ग्राम नयाखेडा,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.)

4. बुधियाबाई लोधी, आयु वयस्क,
पुत्री श्री नारायण सिंह लोधी,
निवासी– ग्राम रमपुरा, तहसील उदयपुरा,
जिला रायसेन (म.प्र.) -- अनावेदकगण/उत्तरदातागण

क्रमांक 2704 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 29-7-13 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) सहपठित धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता

आवेदक/अपीलार्थी की ओर से निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत है :–

1. यह कि आवेदक द्वारा श्रीमान के समक्ष एक राजस्व अपील (अनरजिस्टर्ड) अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, जो श्रीमान के समक्ष दिनांक 27.06.2013 को सुनवाई हेतु नियत थी।

2. यह कि दिनांक 27.06.2013 को आवेदक के अभिभाषक जब श्रीमान के समक्ष उपस्थित हुये उस समय संबंधित लिपिक द्वारा प्रकरण की फाईल नहीं निकाली गयी तथा लिपिक द्वारा बताया गया कि अपील प्रारंभिक बहस हेतु नियत है। कल अर्थात दिनांक 28.06.2013 को आकर पेशी देख लेना।

3. यह कि लिपिक के बताये अनुसार आवेदक के अभिभाषक जब दिनांक 28.06.2013 को श्रीमान के न्यायालय में उपस्थित हुये संबंधित लिपिक द्वारा बताया गया कि अपील प्रकरण दिनांक 27.06.2013 को अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया है।

4. यह कि अपील प्रकरण की निरस्ती की जानकारी मिलने पर आवेदक के अभिभाषक महोदय द्वारा संबंधित लिपिक से फाईल

निरन्तर.........2

15.1.2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	आमम